

कार्यालय — वन प्रंमडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com

	पत्रांक/ दिनांक/		
सेवा में,	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग।		
विषय:	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि का चौपारण ब्लॉक, (चौपारण से चोरदाहा) तक 11 केंoवीo ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 5.6322 हेo वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव।		
प्रसंग:-	प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड रांची का ज्ञापांक 1131 दिनांक 07.12.2017, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग क ज्ञापांक 3410 दिनांक 15.12.2017 एवं आपका ज्ञापांक 3311 दिनांक 16.12.2017।		
महाशय,	उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि सरकार के उप सचिव		
, वन पर	र्गावरण एवं जलवाय परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक – वन		

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि सरकार के उप सचिव , वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक — वन भूमि—32/2016—5026व0प0 रांची दिनांक 01.12.2017 द्वारा विषयगत प्रस्ताव पर पृच्छा की गई है तथा वांछित प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है । पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन विद्युत कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0 , विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, हजारीबाग के पत्रांक 2594 दिनांक 28.12.2017 द्वारा समर्पित किया गया है । समर्पित निराकरण प्रतिवेदन के आधार पर पृच्छा के निराकरण की स्थिति निम्नवत प्रतिवेदित हैं :—

पृच्छा	पृच्छा का अनुपालन (Justification)	अभियुक्ति
विषयक परियोजना हेतु प्रस्तावित मौजा चौपारण	पृच्छा के अनुपालनार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट	
प्लौट संख्या 35 एवं 37 तथा मौजा बिगहा प्लौट	करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित	
संख्या 1 , जिस पर पूर्व में स्वीकृति प्राप्त है, को	किया गया है कि Transmission Line को	
प्रश्नगत प्रस्ताव में सम्मिलित करने का औचित्य	तकनिकी दृष्टिकोण से सुदृढ़ करने के क्रम	
क्या है ?	में , संशोधन किये गये हैं जिसके आलोक	
	में मौजा चौपारण के प्लौट संख्या 35 एवं	
	37 तथा मौजा बिगहा प्लौंट संख्या 1 , में	
	ट्रांशमिशन लाईन निर्माण में पडने वाले वन	
	भूमि के रकवा में वृद्धि हुई जिसके कारण	

प्रश्नगत प्रस्ताव (5.6322 Ha.)में भी इसे सिम्मिलित किया गया ताकि ट्रांशिमशन लाईन का संचरण तकिनकी पहलुओं के मद्वद्वेनजर किया जा सके। साथ ही यह भी सूचित करना है कि वैसे कोई भी प्लौट नहीं लिए गये हैं (प्रश्नगत प्रस्ताव के भूमि अनुसूची में सिम्मिलित नहीं किये गये हैं) जिनका अपयोजन पूर्व में भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर के पत्रांक 5JHC 116/2009-BHU dated 20.08.2010 द्वारा किया गया है।

अतः प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन आठ—आठ प्रतियों में इस पत्र के साथ संलग्न कर यथोचित अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

आपका विश्वासी,

ह0 / – वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांक: दिनांक:

प्रतिलिपि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रेषित ।

ह0 / – वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांकः दिनांकः प्रतिलिपि प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह— कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, रांची को सूचनार्थ समर्पित ।

> ह0 / – वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल

ज्ञापांकः 127 दिनांकः 69/118 प्रतिलिपि विद्युत कार्यपालक अभियन्ता , झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0 हजारीबाग को उनके पत्रांक 2594 दिनांक 28.12.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवस्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

वन प्रमंडल पदाधिकारी, क्जारीओग पश्चिमी प्रमंडल

CF Letter 5-6602ha Online Proposal fea RGGVY-- 14 -

of

Ref: 1) Lt. no. 5998 dated: 16.12.17 of the DFO, West Forest Division, Hazaribag.
2) Lt no. van bhoomi-32/2016-5026 dated: 01.12.2017 of Dy. Secretary, GOJ, Forest, Environment & Climate Change department.

विषयक परियोजना हेतु प्रस्तावित मौजा-चौपारण, प्लाट संख्या- 35 एवं 37 तथा मौजा-बिगहा, प्लाट संख्या- 1, जिस पर पूर्व में स्वीकृति प्राप्त है, को प्रश्नगत प्रस्ताव में सम्मिलित करने का औचित्य क्या है? In order to make some modification of the line length village have in the area have plots. This inconeed to be diversed to be diverged to be diverged. It is further to make some modification of the line length village have in the area have plots. This inconeed to be diverged.

Justification

In order to make the line technically stable, some modifications have been done in the proposed transmission line, due to which the line length in the plots 35 & 37 of Chouparan village and plot no. 1 of Bigha village have increased and subsequently the area have increased in the respective plots. This increased area of above plots need to be diverted as per this proposal of 5.6322 Ha.

It is further to clarify that earlier area in above plots which was diverted in previous proposal of 16.91965 Ha vide letter no. 5-JHC-116/2009-BHU dated: 20.08.2010, has not been included in this proposal of 5.6322 Ha.

कार्यपालक अभियंता (वि.) Executive Engineer (E) दा. घा नि., ग्रा. वि. परि. हजारीबाग D V C. R E P Hazaribag Electrical Executive Engineer
JBVNL, Electric Supply Division
Hazaribag

RAJUREAGNESTONISION

Justification for Query

Ref: 1) Lt. no. 5998 dated: 16.12.17 of the DFO, West Forest Division, Hazaribag.
2) Lt no. van bhoomi-32/2016-5026 dated: 01.12.2017 of Dy. Secretary, GOJ, Forest, Environment & Climate Change department.

Query	Justification
विषयक परियोजना हेतु प्रस्तावित मौजा- चौपारण, प्लाट संख्या- 35 एवं 37 तथा मौजा- बिगहा, प्लाट संख्या- 1, जिस पर पूर्व में स्वीकृति प्राप्त है, को प्रश्नगत प्रस्ताव में सम्मिलित करने का औचित्य क्या है?	In order to make the line technically stable, some modifications have been done in the proposed transmission line, due to which the line length in the plots 35 & 37 of Chouparan village and plot no. 1 of Bigha village have increased and subsequently the area have increased in the respective plots. This increased area of above plots need to be diverted as per this proposal of 5.6322 Ha.
	It is further to clarify that earlier area in above plots which was diverted in previous proposal of 16.91965 Ha vide letter no. 5-JHC-116/2009-BHU dated: 20.08.2010, has not been included in this proposal of 5.6322 Ha.

कर्रपालक अभियंता (वि.)
Executive Engineer (E)
दा. घा नि.. ग्रा. वि. परि. हजारीबार D V C. R E P Hazaribag Electrical Executive Engineer
JBVNL, Electric Supply Division
Hazaribag

